डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, गुरुवार दिनांक 18 अप्रैल 2002—चैत्र 28, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

क्रमांक 2766/21-अ/प्रारुपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 5-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम , 2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001(क्र. 6 सन् 2002) है.

2. यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा.

3. यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

धारा-45 सीसी का समावेश.

4. धारा 45 सी. के पश्चात् निम्नांकित धारा जोड़ी जावेगी :—

45 सी.सी. अभिवहन में माल जांच करने की शक्ति.

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में किसी माल का सड़क द्वारा परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्त्ता प्रेषक द्वारा जारी किया गया बीजक, बिल, चालान या अन्य दस्तावेज, नाम से चाहे जो भी हो, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएगी जो विहित की जाए, अपने साथ रखेगा.

(2) कोई अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी का पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिवहनकर्त्ता से यान को किसी भी स्थान में रोकने की अपेक्षा कर सकेगा तथा उसे या उसे सहायता कर रहे अन्य व्यक्तियों को दस्तावेजों का, जो परिवहनकर्त्ता, के कब्जे में हों, निरीक्षण करने देगा कि क्या वे "वही हैं" जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं तथा धारा 45-ए की उपधारा (5) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रति और क्या ऐसे समस्त दस्तावेज सुवाच्य, सही तथा पूर्ण हैं. परिवहनकर्त्ता, यदि उस अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाय तो, अपना नाम तथा पता और यान का स्वामी, यान के भारसाधक व्यक्ति से भिन्न होने की दशा में स्वामी के नाम तथा पते, उनके/उसके नाम तथा पते और माल के प्रेषक तथा प्रेषिती के नाम तथा पते और उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, भी देगा.

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, यान के निरीक्षण पर यह पाता है कि परिवहनकर्त्ताकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजें नहीं ले जा रहा है या ले जा रहे दस्तावेज व्यवस्थित नहीं हैं या परिवहनकर्त्ता उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रतिलिपि नहीं ले जा रहा है तो वह परिवहनकर्त्ता को निर्देश दे सकेगा कि वह माल तथा दस्तावेज सहित यान को निकटतम जांच चौकी पर या उसके द्वारा नामित वृत्त या उप वृत्त कार्यालय पर ले जाएं और उसे वहां रोके तथा उसे उतने समय तक खड़ा रखे जितना धारा 45-ए के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित किया जाए.

(4) तदुपरान्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, माल और/या यान का अभिग्रहण करने तथा धारा 45-ए के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही आरंभ करेगा और इस प्रयोजन के लिए—

(एक) वह जांच चौकी अधिकारी द्वारा उस धारा के अधीन प्रयोग की जाने योग्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(दो) वह, उस धारा में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा; तथा

(तीन) उस धारा के उपबंध ऐसी कार्यवाहियों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2002 को पारित किया गया."

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

क्रमांक 2766/21-अ/प्रारुपण/01..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 6 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 6 of 2002)

THE CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001

An Act to further amend the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :

Short title & Commencement.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sansodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 6 of 2002).

2. It extends to the whole of Chhattisgarh State.

3. It shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

Insertion of Section 45-CC.

4. After Section 45-C the following Section shall be inserted :—

45-CC : Power to check goods in transit

(1) Every transporter transporting any goods by road in the state of Chhattisgarh shall carry with him an invoice, bill or challan or any other document, by whatever name called, issued by the consignor of the goods giving such particulars as may be prescribed.

(2) Any officer, not below the rank of a Commercial Tax Officer, as may be authorised by the Commissioner, may, for the purposes of this Act, require the transporter to stop the vehicle at any place and allow him, and other persons assisting him, to search the vehicle and inspect the goods being carried, and to verify whether the documents relating to such goods, which are in the possession of the transporter, are those as referred to in sub-section (1) and copy of the declaration referred to in sub-section (5) of Section 45-A, and also whether the documents are legible, correct and complete in all respects. The transporter, if so required by the officer, shall also give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle, if the owner is different from the person in charge of the vehicle, and the consignor and consignee of the goods and also their registration certificate numbers if they are registered under this Act.

(3) If the officer referred to in sub-section (2) finds, on the inspection of the vehicle, that the transporter is not carrying the documents referred to in sub-section (1) or the document being carried are not in order or the transporter is not carrying a copy of the declaration referred to in sub-section (2), he may direct the transporter to take the vehicle along with the goods and the documents to the nearest checkpost or the circle or the sub-circle office to be named by him, and stop it and keep it stationary there till such time as may be required for action in accordance with the provisions of Section 45-A.

(4) Thereupon the officer referred to in sub-section (2), may initiate action for seizure of the goods and/or the vehicle, and for imposition of penalty in accordance with the provisions of Section 45-A, and for that purpose.

(i) he shall exercise all the powers exercisable by the check post officer under that section;

(ii) he shall follow the procedure laid down therein; and

(iii) the provisions of that section shall apply mutatis mutandis to such proceedings.

Member-in-charge.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.